दिनांक 07–10–2021
प्रेस नोट जनपद–रामपुर।

थाना मिलकः–गला दबाकर हत्या करने में 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

दिनांक 05–10–2021 को वादी श्री महीपाल पुत्र धर्मदास निवासी ग्राम परम का मझरा मोहनपुर थाना मिलक, रामपुर द्वारा थाना मिलक रामपुर पर आकर तहरीरी सूचना दी थी कि 1–लखविन्द्र पुत्र बुद्धसैन 2–लाल सिंह पुत्र बुद्धसैन नि0गण ग्राम मझरा करैनलगंज थाना मिलक 3–प्रदीप पुत्र जयदेव नि0 ग्राम रठौडा का मझरा थाना मिलक, रामपुर द्वारा मिलकर वादी की बहन बबीता उम्र लगभग–28 वर्ष की गलादबाकर हत्या कर दी। इस सम्बंध में थाना मिलक, रामपुर पर मु0अ0सं0–386/21 धारा 302, 34 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनाक 07–10–2021 को थाना मिलक, रामपुर पुलिस द्वारा लाल सिंह पुत्र बुद्धसैन निवासी ग्राम धनेली उत्तरी का मझरा करनैल गंज थाना मिलक, रामपुर को बिलासपुर रोड पर पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

थाना मिलकः–गलादबाकर हत्या करने में 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

<u>थाना केमरी :–छेडछाड का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार</u>

दिनांक 06–10–2021 को शन्नू पुत्र शहजादे नि0 ग्राम सिमरिया थाना कैमरी , रामपुर द्वारा थाना केमरी, रामपुर क्षेत्र की रहने वाली एक 17 वर्ष की लडकी के साथ छेडछाड की गयी थी। इस सम्बंध में थाना केमरी, रामपुर पर मु0अ0सं0–148/21 धारा 354क,341 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 07–10–2021 को थाना केमरी, रामपुर पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वॉछित चल रहे अभियुक्त शन्नु पुत्र शहजादे निवासी ग्राम सिमरिया थाना केमरी जिला रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना केमरी :–छेडछाड का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

<u>थाना मिलकः–वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार</u>–

दिनांक 07–10–2021 को वारण्टी अभियुक्त शंकर दीक्षित पुत्र रघुवंश मणि निवासी मौहल्ला रौराकला थाना मिलक, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।